फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मुकाम सेड़वा

जरीना के कायम मुकाम सुखनी बनाम मुमताज अली वगैरा

किस्म मुकदमा–राजस्व वाद

मुकदमा नम्बर–101/2025

तारीख हुक्म	हुक्मकार्रवाई मय इनिशियलजज	नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.07.2025	वादीनी के अधिवक्ता श्री श्रीराम विश्नोई ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिए सम्मन/नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 26.08.2025 को पेश हो।	
25/07/25	पत्रावली पेश हुई। वादीनी वकील उपस्थित। वादीनी स्वयं उपस्थित। वादीनी ने प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली पेशी पर लेने बाबत् पेश कर निवेदन किया। कि उक्त अनवान सदर का वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसकी आगामी पेशी तारीख 26/08/25 मुकर्रर है। प्रकरण अति आवश्यक प्रकृति का होने से अर्जेंट सुनवाई की आवश्यकता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आज दिनांक 25/07/25 को पत्रावली पेशी पर लेने का आदेश फरमावें। वादीनी के निवेदन को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली आज पेशी पर ली गई। वादीनी ने प्रार्थना पत्र वास्ते वाद विड्रो करने बाबत् पेश कर निवेदन किया। कि उक्त अनवान के प्रकरण में हमारे गांव के मौजिज लोगों ने आपसी समझाइश करके राजीनामा [illegible] इसलिए हम उक्त प्रकरण को आ[illegible] चलाना चाहते हैं तथा [illegible] स्वर पर विड्रो करना चाहते [illegible] अतः निवेदन है कि वाद विड्रो का प्रार्थना [illegible] स्वीकार कर विड्रो का आदेश फरमावें। वादीनी के निवेदन को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली जरिए विड्रो खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सख्या से एक कम हो।	सुखनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.08.01 19:52:08 IST
Reason: SelfAttested